

13/1/21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील
हस्तक्षेपित। आज समय चाहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 24/3/21 को बास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

24/3/21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील
हस्तक्षेपित। आज समय चाहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 5/5/21 को बास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

~~पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील
हस्तक्षेपित। आज समय चाहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 5/5/21 को बास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो~~

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

वायी गण की उत्तर

वेले/T

Rajesh ADU

24/3/21

5/5/21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील
हस्तक्षेपित। आज समय चाहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 12/7/21 को बास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

12/7/21

~~पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील
हस्तक्षेपित। आज समय चाहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 12/7/21 को बास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो~~

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

6/9/21

~~पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकील
हस्तक्षेपित। आज समय चाहा गया। मिसल
आइन्दा तारीख 6/9/21 को बास्तो
पूर्व आदेश की पालना में पेश हो~~

शिकुडीह
(प्रमाण) प्रकृत

12/1/21

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

द्वारा न्यायालय मुकदमा नं. 2010
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (मुख्यालय)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

आवृत्त अथवा व्यापक आवृत्त के
में जारी किया जाता है। प्रत्यक्षी के
अनुसार दोष नष्ट से मुक्त

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपरोक्त नामांकित वादीगण को उपरोक्त आदेश निवेदन
यह कि आदीगण द्वारा एक आवृत्त पत्र एवं अस्थाई निवेदन
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. यह कि उपरोक्त आवृत्त एक आवश्यक प्रकृति का आवृत्त है जो कि राज्य सरकार
को दो माह का नोटिस भेजा जाता है तो आवृत्त निष्कर्ष से निकाले जाते हैं।
वादीगण को अपूर्णनीय हति का निवेदन होगा।
3. यह कि नोटिस भिये जाये का अभी समय परीक्षा न है क्योंकि
सरकार आवश्यक व्यवसाय होने के कारण कोरीगण प्रतिवादीगण
हति होने की पूर्ण समाचना है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण को
का नोटिस दिये जाने से छूट प्रकृति के आवृत्त हुए
अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
दिनांक 2-08-2010